संख्या-42/2019/1790/22-2-2019-17(216)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीश पुत्र श्री किरन उर्फ किरनू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10294/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-10.04.2019) दिनांक-10.04.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीश पुत्र श्री किरन उर्फ किरनू, निवासी-ग्राम-अहरोड़ा, थाना-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 04.12.1992 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर अंतराम, जसवीर, कल्लू एवं ओमवीर सहित कुल 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1995 भा0द0सं0 की धारा-148, 307/149, 302/149, के अन्तर्गत मा0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-5, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 04.03.1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **08**.09.1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के घोर अपराध कारित करने, मृतकों के परिजनों की जानमाल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना होने तथा जेल से रिहा होने पर घटना घटित हो सकती है, जघन्य अपराध कारित किया जाना एवं भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 04.12.1992 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमरीश पुत्र श्री किरन उर्फ किरनू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- प्रकरण में विशेष अनुज्ञा याचिका क्रिमि0 डायरी संख्या-164/2018 अमरीश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित समयबद्ध आदेश दिनांक 05.04.2019 के अनुपालन में तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमरीश (बन्दी संख्या-12804) पुत्र श्री किरन उर्फ किरनू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2019/1790(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-42/2019/1790/22-2-2019-17(216)/2010

दिनांक 30 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरीश पुत्र श्री किरन उर्फ किरनू, निवासी-ग्राम-अहरोड़ा, थाना-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 04.12.1992 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर अंतराम, जसवीर, कल्लू एवं ओमवीर सहित कुल 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1995 भा0द0सं0 की धारा-148, 307/149, 302/149, के अन्तर्गत मा0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-5, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 04.03.1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **08**.09.1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के घोर अपराध कारित करने, मृतकों के परिजनों की जानमाल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना होने तथा जेल से रिहा होने पर घटना घटित हो सकती है, जघन्य अपराध कारित किया जाना एवं भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने जमीन के विवाद में दिनांक 04.12.1992 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमरीश पुत्र श्री किरन उर्फ किरनू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in